



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 537]
No. 537]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 3, 2006/कार्तिक 12, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 3, 2006/KARTIKA 12, 1928

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2006

सा.का.नि. 689(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) नियम, 1983 और केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'ग' पद) नियम, 1981 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ख) "नियंत्रक प्राधिकारी" से भारत सरकार का गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग अभिप्रेत है;

(ग) "कर्तव्य पद" से सेवा का ऐसा कोई पद अभिप्रेत है, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी हो और जो अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट है;

(घ) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) "श्रेणी" से सेवा की श्रेणी अभिप्रेत है;

(च) किसी श्रेणी के संबंध में "नियमित सेवा" से सेवा की वह अवधि, जो उस श्रेणी में दीर्घकालिक नियुक्तियों के लिए इन नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् सेवा की गई हो और जिसके अंतर्गत ऐसी अवधि भी है,—

(i) सेवा के आरंभिक गठन पर नियुक्त उन व्यक्तियों के मामले में ज्येष्ठता के प्रयोजनों के लिए हिसाब में ली गई है।

(ii) जिसके दौरान किसी अधिकारी ने उस श्रेणी में कर्तव्य पद धारण किया होता, यदि वह छुट्टी पर न होता या अन्यथा ऐसे पद को धारण करने के लिए उपलब्ध न होता।

(छ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

- (ज) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" का वही अर्थ है जो उनके संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में क्रमशः है;
- (झ) "सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) अभिप्रेत है;
3. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) का गठन :
- (1) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) के नाम से ज्ञात एक सेवा का गठन किया जाएगा जिसमें नियम 6 और नियम 7 के अधीन सेवा में नियुक्त किए गए व्यक्ति होंगे।
- (2) सेवा में सम्मिलित पदों का वर्गीकरण वह होगा जो अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट है।
4. श्रेणियां, प्राधिकृत संख्या और उनका पुनर्विलोकन :
- (1) सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित कर्तव्य पद, उनकी संख्या और वेतनमान वे होंगे जो अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट हैं।
- (2) सेवा में सम्मिलित कर्तव्य पदों का विवरण और शाहीदार मंत्रालयों या विभागों या संगठनों के नाम जिनमें ये पद विद्यमान हैं, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
- (3) सरकारी आयोग के परामर्श से अनुसूची-2 में सम्मिलित पदों से भिन्न किसी पद को सेवा में सम्मिलित कर सकेगी या उक्त अनुसूचियों में सम्मिलित किसी पद को सेवा से निकाल सकेगी।
5. सेवा के सदस्य-निम्नलिखित सेवा के सदस्य होंगे :
- (क) ऐसा व्यक्ति जो नियम 6 के अधीन कर्तव्य पद पर नियुक्त किया गया है।
- (ख) ऐसा व्यक्ति जो नियम 7 के अधीन कर्तव्य पद पर नियुक्त किया गया है।
6. सेवा का आरंभिक गठन :
- (1) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) अपनी-अपनी श्रेणियों में पद धारण करने वाला व्यक्ति।
- (2) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व उप-नियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति की नियमित निरंतर सेवा को परिवीक्षा, प्रोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा।
- (3) उस सीमा जिस तक नियंत्रक अधिकारी इस नियम के उपबंधों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में प्राधिकृत रिक्तियों की संख्या को भरने में समर्थ नहीं है तो उन्हें नियम 7 के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा।
7. सेवा का भावी अनुरक्षण :
- (1) नियम 6 के अधीन सेवा के आरंभिक गठन के पश्चात् अनुसूची-1 और अनुसूची-2 में निर्दिष्ट किसी श्रेणी में उद्भूत होने वाली किसी रिक्ति को उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति से भरा जाएगा।
- (2) भर्ती की पद्धति, चयन का क्षेत्र, अगली अवर श्रेणी में न्यूनतम अर्हक सेवा और सेवा की विभिन्न श्रेणियों में नियुक्ति के लिए अन्य पात्रता की शर्तें वे होंगी जो अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट हैं।
- (3) प्रोन्नति द्वारा विभिन्न श्रेणियों में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा अनुसूची-4 में विनिर्दिष्ट रीति में अवधारित की जाएगी।
- (4) सेवा की श्रेणी-4 (सहायक निदेशक) में सीधे भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं, अनुभव और आयु-सीमा वह होंगी जो अनुसूची-5 में विनिर्दिष्ट हैं।
- (5) सेवा की श्रेणी-6 (कनिष्ठ अनुवादक) की सीधे भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं, अनुभव और आयु-सीमा वह होंगी जो अनुसूची-7 में विनिर्दिष्ट हैं।
8. ज्येष्ठता :
- (1) किसी श्रेणी में नियम-6 के अधीन सेवा में सम्मिलित किए गए समूह 'क' और समूह 'ख' कर्तव्य पद धारण करने वाले व्यक्ति पर बाद में उस श्रेणी में नियुक्त किए गए सभी अस्थायी अधिकारियों से रैंक में ज्येष्ठ होंगे।
- (2) आरंभिक गठन के पश्चात् सेवा में भर्ती किए गए व्यक्तियों की ज्येष्ठता-सरकार द्वारा समय-समय पर उस विषय में जारी किए गए साधारण अमुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी।
- (3) ऐसे मामलों में, जो उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के अंतर्गत नहीं आते हैं, ज्येष्ठता का अवधारण सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

9. परीक्षा—

- (1) समूह 'क' और समूह 'ख' पद पर या तो सीधी भर्ती द्वारा या सेवा में नियुक्त प्रोन्नति द्वारा प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेगा:

परंतु नियंत्रक प्राधिकारी परीक्षा की अवधि को सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार बढ़ा सकेगा:

परंतु यह भी है कि परीक्षा की अवधि बढ़ाये जाने के लिए कोई विनिश्चय परीक्षा की पूर्व अवधि की समाप्ति के पश्चात् आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और ऐसा करने के कारणों सहित संबंधित अधिकारी को उपर्युक्त अवधि के भीतर लिखित रूप में संसूचित किया जाएगा।

- (2) परीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तारण के पूरा होने पर, व्यक्तियों पर सरकार के वर्तमान आदेशों के निबंधनों के अनुसार पुष्टि पर विचार किया जाएगा।
- (3) यदि यथास्थिति, परीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तारण के दौरान, सरकार की यह राय है कि अधिकारी पुष्टि के लिए उपयुक्त नहीं है तो वह यथास्थिति उस अधिकारी को पद से निर्मुक्त कर सकेगा या सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगा या ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकेगा जिन्हें वह ठीक समझे।
- (4) परीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तारण के दौरान, सरकार द्वारा उस अधिकारी से अपेक्षा की जा सकेगी कि वह परीक्षा के संतोषजनक रूप से पूरा होने के लिए शर्त के रूप में ऐसे प्रशिक्षण और अनुदेशों के पाठ्यक्रम पूरा करे और ऐसी परीक्षाएं और परीक्षण उत्तीर्ण करे जिन्हें वह ठीक समझे।
- (5) परीक्षा से संबंधित अन्य विषयों के संबंध में, सेवा के सदस्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों द्वारा शासित होंगे।

10. सेवा में नियुक्ति :

सेवा में भाग लेने वाले मंत्रालयों, विभागों और संलग्न कार्यालयों में सभी पदों के लिए सेवा के सभी सदस्यों की नियुक्तियां नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी।

11. भारत के किसी भी भाग में सेवा करने का दायित्व :

सेवा का सदस्य भारत में कहीं भी सेवा करने का दायी होगा।

12. निरहता : वह व्यक्ति :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य प्रकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

13. शिथिल करने की शक्ति :

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

14. व्यावृत्ति :

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

15. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के नियम 12 के अधीन शक्ति :

(1) सेवा के समूह 'ख' अधिकारियों के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के नियम 12 के अधीन शक्तियों का प्रयोग सेवा की अनुसूची-2 में यथा विनिर्दिष्ट भाग लेने वाले अपने-अपने एककों द्वारा किया जाएगा।

(2) सेवा के समूह 'क' अधिकारियों के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के नियम 12 के अधीन शक्तियों का प्रयोग काडर नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

16. अवशिष्ट विषय :

उन विषयों के संबंध में जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य सामान्यतः अन्य केन्द्रीय सिविल सेवाओं को लागू नियमों द्वारा शासित होंगे।

दिनांक 31 अक्टूबर, 2006

[फा. सं. 1/1/2001-रा.भा. (सेवा)]

मदन लाल गुप्ता, संयुक्त सचिव

अनुसूची-1

[नियम 2(ग), 3(2), 4(1) और 7(1) देखिए]

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'क' और समूह 'ख' पदों) की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित कर्तव्य पदों की श्रेणी, नाम, संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान।

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1.	श्रेणी I (निदेशक)	19	समूह "क" राजपत्रित	14300-400-18300 रु.
2.	श्रेणी II (संयुक्त निदेशक)	20	समूह "क" राजपत्रित	12000-375-16500 रु.
3.	श्रेणी III (उप-निदेशक)	30	समूह "क" राजपत्रित	10000-325-15200 रु.
4.	श्रेणी IV (सहायक निदेशक)	153	समूह "ख" राजपत्रित	7500-250-12000 रु.
5.	श्रेणी V (वरिष्ठ अनुवादक निदेशक)	194	समूह "ख" अराजपत्रित	6500-200-10500 रु.
6.	श्रेणी VI (कनिष्ठ अनुवादक)	421	समूह "ख" अराजपत्रित	5500-175-9000 रु.

अनुसूची-2

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) में सम्मिलित कर्तव्य पदों का ब्यौरा और सेवा में भाग लेने वाले उन मंत्रालयों/विभागों और संलग्न कार्यालयों के नाम जिनमें ये पद हैं, नाम दर्शित करने वाला विवरण।

क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग/अधिनस्थ कार्यालय	ग्रेड-I निदेशक (रु 14300- 18300)	ग्रेड-II संयुक्त निदेशक (रु. 12000- 375-16500)	ग्रेड-III उप निदेशक (रु. 10,000- 325-15200)	ग्रेड-IV सहायक निदेशक (रु. 7500- 250-15200)	ग्रेड-V वरिष्ठ अनुवादक (रु. 6500- 200-15200)	ग्रेड-VI कनिष्ठ अनुवादक (रु. 5500- 175-9000)
----------	---------------------------------	---	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	कृषि मंत्रालय						
(i)	कृषि एवं सहकारिता विभाग	1	—	1	3	5	8
(ii)	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	—	—	—	1	—	1
(iii)	कृषि लागत एवं मूल्य आयोग	—	—	—	1	—	1
	पौध संरक्षण क्वोरिटाईन तथा भण्डारण निदेशालय (फरीदाबाद)	—	—	—	1	—	2
	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	—	—	—	1	1	1
2.	रसायन एवं पेट्रो रसायन मंत्रालय	—	1	—	1	1	2
3.	वाणिज्य मंत्रालय	1	—	—	2	2	6
4.	दूर संचार मंत्रालय	1	—	1	2	7	9
5.	रक्षा मंत्रालय (मुख्य)	1	—	1	4	4	9
(i)	रक्षा मंत्रालय (दत्त)	—	—	1	—	1	3
6.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	—	—	—	—	—	—
(i)	शिक्षा विभाग	1	—	—	4	4	13
(ii)	युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय	—	—	1	—	1	3
(iii)	संस्कृति मंत्रालय	1	—	1	1	1	3
(iv)	पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग	—	1	—	1	2	—
(v)	राष्ट्रीय अभिलेखागार	—	—	—	1	—	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	ऊर्जा विभाग	—	—	—	—	—	—
	(i) विद्युत मंत्रालय	—	1	—	1	1	4
	(ii) कोयला विभाग	—	—	—	1	1	2
	(iii) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	—	—	—	1	1	3
	(iv) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक विभाग	—	—	1	1	2	2
	(v) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	—	—	1	—	1	3
8.	विदेश मंत्रालय	—	—	—	2	6	1
9.	खाद्य एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय	—	—	—	—	—	—
	(i) नागरिक पूर्ति विभाग	—	1	—	1	2	3
	(ii) उपभोक्ता मामले विभाग	—	1	—	1	1	3
	(iii) वनस्पति, वनस्पति मंत्रालय तथा वसा निदेशालय	—	—	—	1	—	1
10.	वित्त मंत्रालय						
	(i) आर्थिक कार्य विभाग	1	—	1	5	7	5
	(ii) आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग)	—	—	1	1	3	5
	(iii) व्यय विभाग	—	—	1	2	3	5
	(iv) राजस्व विभाग	1	—	2	4	11	5
	(v) लोक उद्यम विभाग	—	—	—	1	1	2
	(vi) प्रवर्तन निदेशालय	—	—	—	1	1	—
11.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	1	—	—	3	5	10
12.	गृह मंत्रालय	1	—	1	5	10	7
13.	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	—	—	1	—	1	1
14.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	—	—	1	2	4	7
15.	सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान	—	—	—	1	1	1
16.	कर्मचारी चयन आयोग	—	—	—	1	2	1
17.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	—	—	—	2	1	20
18.	राजभाषा विभाग	1	—	1	3	—	4
19.	भारत के महाराजिस्ट्रार का कार्यालय	—	1	—	1	3	2
20.	आसूचना ब्यूरो	—	—	—	1	3	27
21.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	—	—	—	1	1	3
22.	सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय	—	—	—	1	1	5
23.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	—	—	—	1	1	1
24.	भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का कार्यालय (इलाहाबाद)	—	—	—	—	1	—
25.	राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो	—	—	—	—	1	1
26.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	—	1	—	3	2	5
27.	उर्वरक विभाग	—	—	1	1	1	3
28.	विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (फरीदाबाद)	—	—	—	1	—	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29.	शर्करा निदेशालय	—	—	—	1	—	2
30.	विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (नागपुर)	—	—	—	1	—	2
31.	पूर्ति विभाग	—	—	1	—	1	3
32.	विदेश व्यापार महानिदेशालय	—	—	—	1	3	4
33.	विकासयुक्त का कार्यालय (हस्तशिल्प)	—	—	—	1	1	2
34.	आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय	—	—	1	2	3	4
35.	डाक विभाग	1	—	—	1	2	3
36.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	1	—	1	1	2	—
37.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय	—	—	—	1	—	2
38.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	—	1	—	1	2	3
39.	जनजाति कार्य मंत्रालय	—	—	—	1	1	2
40.	महिला एवं बाल एवं विकास विभाग	—	—	—	1	1	3
41.	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	—	1	—	3	3	6
42.	कम्पनी कार्य विभाग	—	—	—	1	1	3
43.	विकास आयुक्त का कार्यालय (लघु उद्योग)	—	—	—	1	4	2
44.	नमक आयुक्त का कार्यालय (जयपुर)	—	—	—	—	2	—
45.	औद्योगिक मूल्य एवं लागत आयोग	—	—	—	1	—	2
46.	भारी उद्योग विभाग	—	—	—	1	1	3
47.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	1	—	—	1	1	3
48.	आकाशवाणी महानिदेशालय	—	1	—	—	1	3
49.	दूरदर्शन महानिदेशालय	—	—	—	1	1	3
50.	प्रकाशन विभाग	—	—	—	1	1	3
51.	दृश्य प्रचार एवं प्रसार निदेशालय	—	—	—	1	1	5
52.	पत्र सूचना का कार्यालय	—	—	—	1	1	3
53.	समाचारपत्र पंजीयक का कार्यालय	—	—	—	1	—	2
54.	श्रम मंत्रालय	—	1	—	1	2	5
55.	रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय	—	—	—	1	1	4
56.	मुख्य श्रमायुक्त का कार्यालय	—	—	—	1	—	1
57.	श्रम ब्यूरो शिमला	—	—	—	1	1	1
58.	महानिदेशालय कारखाना सलाह एवं श्रम सेवा संस्थान (मुम्बई)	—	—	—	1	—	1
59.	पर्यटन विभाग	—	1	—	1	1	3
60.	केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (कोलकाता)	—	—	—	1	1	—
61.	सांख्यिकी विभाग	—	—	1	1	5	3
62.	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	—	—	—	1	1	2
63.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	—	1	—	1	1	3
64.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग	—	—	—	1	1	1
65.	बायोटेक्नोलॉजी विभाग	—	—	1	—	1	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
66.	संगणक केन्द्र	—	—	—	1	—	1
67.	खान मंत्रालय	—	1	—	1	1	3
68.	इस्पात विभाग	—	1	—	1	1	3
69.	लोहा एवं इस्पात नियंत्रक का कार्यालय, कोलकाता	—	—	—	1	—	—
70.	नागर विमान महानिदेशालय	—	—	—	1	1	2
71.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	—	—	—	1	1	2
72.	नौवहन मंत्रालय	—	1	—	1	1	2
73.	नौवहन महानिदेशालय (मुम्बई)	—	1	—	2	1	4
74.	नागर विमानन विभाग	1	—	—	1	2	2
75.	नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	—	—	—	1	—	1
76.	शहरी कार्य एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय	1	—	1	1	2	5
77.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	—	1	—	8	1	21
78.	मुद्रण निदेशालय	—	—	—	1	—	2
79.	संपदा निदेशालय	—	—	—	1	1	3
80.	वस्त्र मंत्रालय	—	—	—	1	1	3
81.	जल संसाधन मंत्रालय	1	—	1	1	2	2
82.	केन्द्रीय जल आयोग	—	—	1	1	3	4
83.	केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला	—	—	—	1	—	1
84.	प्रधान मंत्री कार्यालय	1	—	—	—	1	3
85.	महासागर विकास विभाग	—	—	—	1	1	2
86.	मंत्रिमंडल सचिवालय	—	—	1	—	1	3
87.	योजना आयोग	—	1	—	1	2	6
88.	निर्वाचन आयोग	—	—	1	1	3	4
89.	संघ लोक सेवा आयोग	1	—	1	4	4	5
90.	खाद्य प्रसंस्करण विभाग	—	—	—	1	1	1
91.	विधायी कार्य विभाग	—	—	—	1	1	2
92.	विधि कार्य विभाग	—	1	—	1	1	5
93.	विकास आयुक्त का कार्यालय (हथकरघा)	—	—	—	—	1	—
94.	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	—	—	—	1	1	3
95.	भारतीय औषधि एवं होम्योपैथी विभाग	—	—	1	—	1	1
96.	भूमि संसाधन मंत्रालय	—	—	—	1	—	2
97.	विनिवेश विभाग	—	—	—	1	—	2
98.	भूमि एवं विकास संगठन	—	—	—	1	—	1
99.	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विभाग	—	—	—	1	—	1
100.	राष्ट्रीय वन-रोपण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड	—	—	—	—	1	2
101.	नारकोटिक्स ब्यूरो	—	—	—	1	1	1
102.	आर्थिक सलाहकार का कार्यालय	—	—	—	—	—	1
103.	राष्ट्र चिकित्सा प्राधिरण	—	—	—	—	—	1
104.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्राशानिक अकादमी, मैसूरी	—	—	—	—	—	—
105.	सीमा सड़क विकास मंडल	—	—	—	—	—	2
106.	राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन	—	—	—	—	—	1
107.	पंचायती राज मंत्रालय	—	—	—	1	—	1
108.	भारतीय अप्रावासी मंत्रालय	—	—	—	1	—	2
कुल योग		19	20	30	153	194	421

अनुसूची-3

[नियम 7(2) देखिए]

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) में विभिन्न श्रेणियों में नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति के क्षेत्र, प्रतिनियुक्ति के लिए चयन के क्षेत्र को दर्शाने वाला विवरण ।

क्र. सं.	पद का नाम और वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	भर्ती की पद्धति	प्रोन्नति का क्षेत्र	प्रतिनियुक्ति के लिए चयन का क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
1.	श्रेणी-I (निदेशक) 14300-400-18300 रु.	चयन	चालीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा साठ प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा	ऐसा संयुक्त निदेशक जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो, जिसके न हो सकने पर ऐसा संयुक्त निदेशक जिसने संयुक्त निदेशक और उप-निदेशक की श्रेणियों में दस वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की हो और संयुक्त निदेशक की श्रेणी में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो ।	केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी— (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 12000-375-16500 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास अनुसूची 5 में यथा विनिर्दिष्ट सहायक निदेशक के पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं, और अनुभव हों ।

1	2	3	4	5	6
2.	श्रेणी-II (संयुक्त निदेशक) 12000-375-16500 रु.	चयन	पचहत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा पच्चीस प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा	ऐसा उप-निदेशक जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो, जिसके न हो सकने पर ऐसा उप-निदेशक जिसने 7500-12000 रु. के वेतनमान में उप-निदेशक और सहायक निदेशक की श्रेणियों में ग्यारह वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की हो इन दोनों के न हो सकने पर ऐसा उप-निदेशक जिसने 7500-12000 रु. और 6500-10500 रु. के वेतनमान में उप-निदेशक और सहायक निदेशक की श्रेणियों में तेरह वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की हो तथा उप-निदेशक की श्रेणी में न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो ।	केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी— (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 10000-15200 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास अनुसूची 5 में यथाविनिर्दिष्ट सहायक निदेशक के पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों ।

1	2	3	4	5	6
3.	श्रेणी-3 (उप-निदेशक 10000-325-15200 रु.	चयन	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	ऐसा सहायक निदेशक जिसने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो, जिसके न हो सकने पर ऐसा सहायक निदेशक जिसने 6500-10500 रु. और 7500-12000 रु. के वेतनमान में आठ वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की हो।	केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 8000-13500 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 7500-12000 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास अनुसूची-5 में अधिकथित सहायक निदेशक के पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों।
4.	श्रेणी-4 (सहायक निदेशक) 7500-250-12000 रु.	चयन	पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा		
5.	श्रेणी-5 (ज्येष्ठ अनुवादक) 6500-200-10500 रु.	चयन	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	ऐसा कनिष्ठ अनुवादक जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो, जिसके न हो सकने पर ऐसा कनिष्ठ अनुवादक जिसने 5500-9000 रु. और 5000-8000 रु. के वेतनमान में छह वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा की हो।	केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5500-9000 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास अनुसूची-7 में यथाअधिकथित कनिष्ठ अनुवादक के पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं, और अनुभव हो।

1	2	3	4	5	6
6.	श्रेणी-6 (कनिष्ठ अनुवादक) 5500-9000 रु.	लागू नहीं होता	<p>सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p>टिप्पण-1 : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी, अर्थात् :-</p> <p>केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 5000-8000 रु. के या समतुल्य वेतमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 4500-7000 रु. के या समतुल्य वेतमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो ; या</p> <p>(iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 4000-6000 रु. के या समतुल्य वेतमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो; या</p> <p>(ख) जिनके पास अनुसूची-7 में यथा-अधिकथित सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो।</p>	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

- टिप्पण 1.**—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
- टिप्पण 2.**—सेवा की श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3, श्रेणी 4, श्रेणी 5 में प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर ब्राह्म पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- टिप्पण 3.**—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम नहीं है और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

अनुसूची-4

[नियम 7 (3) और नियम 10 देखिए]

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) के विभिन्न पदों पर प्रोन्नति और पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए विभागीय समितियों की संरचना।

क्र. सं.	पद का नाम	प्रोन्नति पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना	पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना
1	2	3	4
1.	श्रेणी 1 (निदेशक)	(1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग (2) सचिव (राजभाषा) (3) संयुक्त सचिव (राजभाषा)	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य लागू नहीं होता
2.	श्रेणी 2 (संयुक्त निदेशक)	(1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग (2) सचिव (राजभाषा) (3) संयुक्त सचिव (राजभाषा)	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य लागू नहीं होता
3.	श्रेणी 3 (उप निदेशक)	(1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग (2) संयुक्त सचिव (राजभाषा) (3) निदेशक या उपसचिव (सेवा)	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य लागू नहीं होता
4.	श्रेणी 4 (सहायक निदेशक)	(1) संयुक्त सचिव, (राजभाषा) (2) नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो ऐसे प्रतिनिधि जो भारत सरकार के निदेशक/उपनिदेशक की पंक्ति के हों	—अध्यक्ष —सदस्य लागू नहीं होता
5.	श्रेणी 5 (वरिष्ठ अनुवादक)	(1) संयुक्त सचिव, (राजभाषा) (2) नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो ऐसे प्रतिनिधि जो भारत सरकार के निदेशक/उपनिदेशक की पंक्ति के हों	—अध्यक्ष —सदस्य लागू नहीं होता

1	2	3	4
6.	श्रेणी 6 (कनिष्ठ अनुवादक)	(1) संयुक्त सचिव (राजभाषा) राजभाषा विभाग —अध्यक्ष (2) नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो ऐसे प्रतिनिधि जो भारत सरकार के निदेशक/उप-निदेशक की पंक्ति के हों	लागू नहीं होता

टिप्पण : आयोग के अध्यक्ष या सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की अनुपस्थिति से समिति की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं होगी, यदि समिति के आधे से अधिक सदस्यों ने उसकी बैठक में भाग लिया था।

अनुसूची-5

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'क' और समूह 'ख' पदों) की श्रेणी-4 (सहायक निदेशक) में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता और अन्य अर्हताएं, अनुभव तथा आयु-सीमा

(क) आयु-सीमा—35 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(ख) शैक्षिक अर्हताएं और अन्य अर्हताएं तथा अनुभव

आवश्यक—(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री या समतुल्य।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ अंग्रेजी और हिन्दी विषयों के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी माध्यम से और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से और डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य।

अनुभव—(2) हिन्दी में शब्दावली (शब्दावली कार्य) प्रयुक्त करने/अनुप्रयोग करने का और अंग्रेजी से हिन्दी में अथवा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का पांच वर्ष का अनुभव, जिसमें तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी कार्य को अधिमानता दी जाएगी।

या

हिन्दी और अंग्रेजी में अध्यापन या हिन्दी और अंग्रेजी में अनुसंधान का पांच वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तक शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

वांछनीय—(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड के मैट्रिक या समतुल्य स्तर पर हिन्दी से भिन्न संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा का ज्ञान।

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद में डिग्री/डिप्लोमा या समतुल्य।

अनुसूची-6

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'क' और समूह 'ख' पदों) की विभिन्न श्रेणियों में नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की परिस्थितियां ।

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की परिस्थितियां
1.	श्रेणी 1 (निदेशक)	14300-400-18300 रु.	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।
2.	श्रेणी 2 (संयुक्त निदेशक)	12000-375-16500 रु.	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।
3.	श्रेणी 3 (उप-निदेशक)	10000-325-15200 रु.	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।
4.	श्रेणी 4 (सहायक निदेशक)	7500-250-12000 रु.	सीधी भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।
5.	श्रेणी 5 (वरिष्ठ अनुवादक)	6500-200-10500 रु.	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।
6.	श्रेणी 6 (कनिष्ठ अनुवादक)	5500-175-9000 रु.	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

अनुसूची-7

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'ख' पद) की श्रेणी-6 (कनिष्ठ अनुवादक) में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता और अन्य अर्हताएं, अनुभव तथा आयु-सीमा

(क) आयु-सीमा-30 वर्ष से अनाधिक (सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

(ख) शैक्षिक अर्हताएं और अन्य अर्हताएं तथा अनुभव

आवश्यक-(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में परीक्षा के रूप में अंग्रेजी या हिन्दी विषय के साथ हिन्दी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम रूप में अंग्रेजी या हिन्दी विषय के साथ हिन्दी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी या परीक्षा के रूप में उनमें से किसी विषय और अन्य विषय अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

(2) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के कार्यालयों में, जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिन्दी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाणपत्र या हिन्दी से अंग्रेजी में या अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1-अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पण 2-अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तक शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

वांछनीय-(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड के मैट्रिक या समतुल्य स्तर पर हिन्दी से भिन्न संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा का ज्ञान।

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद में डिग्री/डिप्लोमा या समतुल्य ।

[फा. सं. 1/1/2001-रा.भा. (से)]

मदनलाल गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**(Department of Official Language)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st October, 2006

G.S.R. 689(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and in supersession of the Central Secretariat Official Language Service (Group 'A' and 'B' posts) Rules, 1983, and the Central Secretariat Official Language Service (Group C Posts) Rules, 1981 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called Central Secretariat Official Language Service (Groups 'A' and 'B' Posts) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Commission" means the Union Public Service Commission or the Staff Selection Commission;

(b) "Controlling Authority" means the Government of India in the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language;

(c) "duty post" means any post in the Service, whether permanent or temporary, and specified in Schedule-I;

(d) "Government" means the Government of India;

(e) "grade" means a grade of the Service;

(f) "regular service" in relation to any grade means the period of service in that grade, rendered after selection in accordance with these rules for long term appointments to that grade, and includes any period—

(i) taken into account for the purposes of seniority in the case of those appointed at the initial constitution of the service;

(ii) during which an officer would have held a duty post in that grade but for his being on leave or otherwise not being available for holding such post;

(g) "Schedule" means a schedule annexed to these rules;

(h) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the same meaning as are assigned to them respectively in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution;

(i) "Service" means the Central Secretariat Official Language Service (Groups 'A' and 'B' posts) constituted under rule 3.

3. Constitution of the Central Secretariat Official Language Service (Groups 'A' and 'B' posts).—(1) There shall be constituted a Service to be known as the Central Secretariat Official Language Service (Groups 'A' and 'B' Posts) consisting of persons appointed to the Service under rules 6 and 7. (2) The classification of posts included in the service shall be as specified in Schedule I.

4. Grades, authorised strength and its review.—(1) The duty posts included in the various grades of the Service, their number and scales of pay shall be as specified in Schedule-I.

(2) The break up of the duty posts included in the Service and the names of the participating Ministries or Departments or Organisations in which these posts exist shall be as specified in Schedule II.

(3) The Government may, in consultation with the Commission, include in the Service any post other than those included in Schedule II or exclude from the Service a post included in the said Schedules.

5. Members of the Service.—The following shall be the members of Service—

(a) persons appointed to duty posts under rule 6;

(b) person appointed to duty under rule 7.

6. Initial constitution of the service.—(1) A person holding Group A and Group B duty post in the Central Secretariat Official Language Service on the date of commencement of these rules, shall be member of the Service in the respective grades.

(2) The regular continuous service of a person referred to in sub-rule (1) prior to the commencement of these rules shall count for the purposes of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension.

(3) To the extent the Controlling Authority is not able to fill the authorized strength of the various grades in accordance with the provisions of this rule, the same shall be filled in accordance with the provisions of rule 7.

7. Future maintenance of the Service.—(1) Any vacancy arising in any of the grades referred to in Schedule I and Schedule II after the initial constitution of the Service under rule 6, shall be filled in the manner specified in this rule.

(2) The method of recruitment, field of selection, minimum qualifying service in the next lower grade and other eligibility conditions for appointment to the various grades of the Service shall be as specified in Schedule III.

(3) The suitability of candidates for appointment to the various grades by promotion shall be determined by the Departmental Promotion Committees constituted by the Controlling Authority in the manner specified in Schedule IV.

(4) The educational and other qualifications, experience and age limit for appointment by direct recruitment to Grade IV (Assistant Director) or the service shall be as specified in Schedule V.

(5) The educational and other qualifications and age limit for appointment by direct recruitment to Grade VI (Junior Translator) or the service shall be as specified in Schedule VII.

8. Seniority.—(1) Persons holding Group A and Group B duty posts included in the Service under rule 6 in any grade shall rank senior to all officials appointed to that grade subsequently.

(2) The seniority of the persons recruited to the Service after the initial constitution shall be determined in accordance with the general instructions issued by Government in the matter from time to time.

(3) In cases not covered by sub-rules (1) and (2), the seniority shall be determined by the Government in consultation with the Commission.

9. Probation.—(1) Every person appointed to the Service either by direct recruitment or by promotion from Group 'B' to Group 'A' post shall be on probation for a period of two years: provided that the Controlling Authority may extend the period or probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time in this regard: provided further that any decision for extension of probation period shall be taken within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On the completion of the period of probation or any extension thereof, persons shall be considered for confirmation in terms of the extant orders of the Government.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Government is of the opinion that an officer is not fit for confirmation, it may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be, or pass such orders as it deems fit.

(4) During the period or probation or any extension thereof, an officer may be required by the Government to undergo such course of training and instructions and to pass such examinations and tests as it may deem fit, as a condition to the satisfactory completion of the probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the members of the Service will be governed by the orders or instructions issued by Government in this regard from time to time.

10. Appointment to the Service.—Appointments of members to the service shall be made by the Controlling Authority for all the posts in the Ministries, Departments and attached offices participating in the Service.

11. Liability to serve in any part of India.—A member of the Service shall be like to serve anywhere in India.

12. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the Service: provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

13. Power to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions or these rules with respect to any class or category of persons.

14. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and the Ex Servicemen and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

15. Power under rule 12 of the Central Civil Services (Classification Control and Appeal) Rules, 1965.—(1) Power under rule 12 of Central Civil Services (Classification Control and Appeal) Rules, 1965, in respect of Group "B" officers of the Service, shall be exercised by the respective participating units as specified in Schedule II of the Service.

(2) Power under rule 12 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, in respect of Group "A" officers of the Service shall be exercised by the cadre controlling authority.

16. **Residuary matters.**—With regard to matters for which no provision is made in these rules, the members of the service shall be governed by rules applicable to other Central Civil Service in general.

SCHEDULE—I

[(See rules 2 (c), 3(2), 4(1) and 7 (1)]*

The Grade, Name, Number, Classification and Scales of pay of duty posts included in various grades of the Central Secretariat Official Language Service (Groups 'A' and 'B' Posts).

Sl. No.	Name of the post	Number of Post	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Grade I (Director)	19	Group 'A' Gazetted	Rs. 14300-400-18300
2.	Grade II (Joint Director)	20	Group "A' Gazetted	Rs. 12000-375-16500
3.	Grade III (Deputy Director)	30	Group "A' Gazetted	Rs. 10000-325-15200
4.	Grade IV (Assistant Director)	153	Group 'B' Gazetted	Rs. 7500-250-12000
5.	Grade V (Senior Translator)	194	Group 'B' Non- Gazetted	Rs. 6500-200-10500
6.	Grade VI (Junior Translator)	421	Group 'B' Non- Gazetted	Rs. 5500-175-9000

SCHEDULE-II

Statement showing the break-up of the post included in the CSOL Service (Group 'A' and Group 'B' Posts) and names of the Ministries/Departments and Attached Offices participating in the service in which these posts exists.

Sl. No.	Ministry/Department/ Attached Offices	Grade I Director (Rs.14300-400- 18300)	Grade II Joint Director (Rs. 12000-375 16500)	Grade III Deputy Director (Rs. 10000- 325-15200)	Grade IV Asstt. Director (Rs. 7500-250- 12000)	Grade V Senior Translator (Rs. 6500-200- 10500)	Grade VI Jr. Translator Rs. (5500-175- 9000)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ministry of Agriculture :						
	(i) Deptt. of Agriculture & Cooperation	1	-	1	3	5	8
	(ii) Deptt. of Agriculture Research & Education	-	-	-	1	-	1
	(iii) Agruculture Costs & Prices Commission	-	-	-	1	-	1
	(iv) Dte. of Plant Protection, Quarantine & Storage, Faridabad	-	-	-	1	-	2
	(v) Dte. of Economics & Statistics, New Delhi	-	-	-	1	1	2
2.	Ministry of Chemicals & Petro-Chemicals.	-	1	-	1	1	2
3.	Ministry of Commerce	1	-	-	2	2	6
4.	Ministry of Tele-Communications	1	-	1	2	7	9
5.	Ministry of Defence (Proper)	1	-	1	4	4	9
	(i) Ministry of Defence (Finance)	-	-	1	-	1	3

1	2	3	4	5	6	7	8
6. Ministry of Human Resource Development	-	-	-	-	-	-	-
(i) Department of Education	1	-	-	-	4	4	13
(ii) Deptt. of Youth Affairs & Sports	-	-	-	1	-	1	3
(iii) Department of Culture	1	-	-	1	1	1	3
(iv) Archaeological Survey of India	-	-	1	-	1	2	-
(v) National Archives of India	-	-	-	-	1	-	1
7. Ministry of Energy:	-	-	-	-	-	-	-
(i) Department of Power	-	-	1	-	1	1	4
(ii) Department of Coal	-	-	-	-	1	1	2
(iii) Central Electricity Authority	-	-	-	-	1	1	3
(iv) Deptt. of Petroleum & Natural Gas	-	-	-	1	1	2	2
(v) Deptt. of Non-Conventional Energy Resources	-	-	-	1	-	1	3
8. Ministry of External Affairs	-	-	-	-	2	6	1
9. Ministry of Food & Civil Supplies	-	-	-	-	-	-	-
(i) Deptt. of Food & Civil Supplies	-	-	1	-	1	2	3
(ii) Deptt. of Consumer Affairs	-	-	1	-	1	1	3
(iii) Dte. of Vanaspati, Vegetable Oils & Fats	-	-	-	-	1	-	1
10. Ministry of Finance:	-	-	-	-	-	-	-
(i) Deptt. of Economic Affairs	1	-	-	1	5	7	5
(ii) Deptt. of Economic Affairs (Banking Division)	-	-	-	1	1	3	5
(iii) Department of Expenditure	-	-	-	1	2	3	5
(iv) Department of Revenue	1	-	-	2	4	11	5
(v) Dte. of Enforcement	-	-	-	-	1	1	-
(vi) Deptt. of Public Enterprises	-	-	-	-	1	1	2
11. Ministry of Health & Family Welfare	1	-	-	-	3	5	10
12. Ministry of Home Affairs	1	-	-	1	5	10	7
13. Deptt. of Administrative Reforms & Public Grievances	-	-	-	1	-	1	1

3512 GI/06-3

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Deptt. of Personnel & Training	-	-	1	2	4	7
15.	Institute of Secretariat Training & Management	-	-	-	1	1	1
16.	Staff Selection Commission	-	-	-	1	2	1
17.	Central Bureau of Investigation	-	-	-	2	1	20
18.	Deptt. of Official Language	1	-	1	3	-	4
19.	Registrar General of India	-	1	-	1	3	2
20.	Intelligence Bureau	-	-	-	1	3	27
21.	Central Industrial Security Force	-	-	-	1	1	3
22.	Dte. General, Border-Security Force	-	-	-	1	1	5
23.	National Commission for SC & ST	-	-	-	1	1	-
24.	O/o Commissioner, Linguistic, Minority, Allahabad	-	-	-	-	1	-
25.	National Crime Records Bureau	-	-	-	-	1	1
26.	Ministry of Rural Development	-	1	-	3	2	5
27.	Department of Fertilizers	-	-	1	1	1	3
28.	Dte. of Marketing & Inspection, Faridabad	-	-	-	1	-	2
29.	Dte. of Sugar	-	-	-	1	-	2
30.	Dte. of Marketing & Inspection, Nagpur	-	-	-	1	-	2
31.	Department of Supply	-	-	1	-	1	3
32.	Dte. General, Foreign Trade	-	-	-	1	3	4
33.	O/o Development Commissioner (Handicrafts)	-	-	-	1	1	2
34.	Dte. General, Supplies & Disposals	-	-	1	2	3	4
35.	Department of Posts	1	-	-	1	2	6
36.	Ministry of Environment & Forest	1	-	1	1	2	4
37.	Dte. of National River Conservations	-	-	-	1	-	2
38.	Ministry of Social Justice & Empowerment	-	1	-	1	2	3
39.	Ministry of Tribal Affairs	-	-	-	1	1	2
40.	Deptt. of Women & Child Welfare	-	-	-	1	1	3
41.	Deptt. of Industrial Policy & Promotion	-	1	-	3	3	6
42.	Deptt. of Company Affairs	-	-	-	1	1	3
43.	O/O the Development Commissioner (SSI)	-	-	-	1	4	2

1	2	3	4	5	6	7	8
44.	O/O Salt Commissioner, Jaipur -	-	-	-	-	2	-
45.	Industrial Costs & Prices Commission	-	-	-	1	-	2
46.	Deptt. of Heavy Industry	-	-	-	1	1	3
47.	Ministry of Information & Broadcasting	1	-	-	1	1	3
48.	Dte. General All India Radio	-	1	-	-	1	3
49.	Dte. General Doordarshan	-	-	-	1	1	3
50.	Deptt. of Publication	-	-	-	1	1	3
51.	Dte. Of Advertising & Visual Publicity	-	-	-	1	1	5
52.	Press Information Bureau	-	-	-	1	1	3
53.	O/O the Registrar of News Papers	-	-	-	1	-	2
54.	Ministry of labour	-	1	-	1	2	5
55.	Dte. General, Employment & Training	-	-	-	1	1	4
56.	O/O the Chief labour Commissioner	-	-	-	1	-	1
57.	Labour Bureau, Simla	-	-	-	1	1	1
58.	Dte. General, Factory Advice & Labour Service Institute, Bombay	-	-	-	1	-	1
59.	Department of Tourism	-	1	-	1	1	3
60.	Central Statistical Organisation, Calcutta	-	-	-	1	1	-
61.	Department of Statistics	-	-	1	1	5	3
62.	Department of Programme Implementation	-	-	-	1	1	2
63.	Deptt. of Science & Technology	-	1	-	1	1	3
64.	Deptt. of Science & Technology Research.	-	-	-	1	1	1
65.	Department of Biotechnology	-	-	1	-	1	2
66.	Computer Centre	-	-	-	1	-	1
67.	Department of Mines	-	1	-	1	1	3
68.	Department of Steel	-	1	-	1	1	3
69.	O/O Controller, Iron & Steel, Calcutta	-	-	-	1	-	-
70.	Dte. General Civil Aviation	-	-	-	1	1	2
71.	Ministry of Surface Transport & Highways	-	-	-	1	1	2
72.	Ministry of Shipping	-	1	-	1	1	2
73.	Dte. General, Shipping, Bombay	-	1	-	2	1	4

1	2	3	4	5	6	7	8
74.	Department of Civil Aviation	1	-	-	1	2	2
75.	Bureau of Civil Aviation Security	-	-	-	1	-	1
76.	Min. of Urban Development & Poverty Alleviation	1	-	1	1	2	5
77.	Central Public Works Department	-	1	-	8	1	21
78.	Dte. of Printing	-	-	-	1	-	2
79.	Dte. of Estates	-	-	-	1	1	3
80.	Ministry of Textiles	-	-	-	1	1	3
81.	Ministry of Water Resources	1	-	1	1	2	2
82.	Central Water Commission	-	-	1	1	3	4
83.	Central Soil & Material Research Station	-	-	-	1	-	1
84.	Prime Minister's Office	1	-	-	-	1	3
85.	Deptt. of Ocean Development	-	-	-	1	1	2
86.	Cabinet Secretariat	-	-	1	-	1	3
87.	Planning Commission	-	1	-	1	2	6
88.	Election Commission of India	-	-	1	1	3	4
89.	Union Public Service Commission	1	-	1	4	4	5
90.	Min. of Food Processing Industry	-	-	-	1	1	1
91.	Legislative Department	-	-	-	1	1	2
92.	Department of Legal Affairs	-	1	-	1	1	5
93.	O/O Development Commissioner (Handlooms)	-	-	-	-	1	-
94.	Deptt. of Animal Husbandry & Dairy	-	-	-	1	1	3
95.	Deptt. of Indian Medicine Systems & Homoeopathy	-	-	1	-	1	1
96.	Deptt. of Land Resources	-	-	-	1	-	2
97.	Deptt. of Disinvestment	-	-	-	1	-	2
98.	Land and Development Organisation	1	-	-	1	-	1
99.	Deptt of North Eastern Region	-	-	-	1	-	1
100.	National Afforestation & Ecological Development Board	-	-	-	-	1	2
101.	Bureau of Narcotics	-	-	-	1	1	1
102.	O/O the Economic Adviser	-	-	-	-	-	1
103.	National Medicine Cost Authority	-	-	-	-	-	1
104.	Lal Bahadur Shastri National Academy, Mussoorie	-	-	-	-	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8
105.	Border Roads Development Board	-					2
106.	National Buildings Construction Organisation	-					
107.	M/o. Panchayati Raj	-					
108.	Ministry of Indian Overseas	-			1		2
Total:		19	20	30	153	194	421

Schedule III

[See rule 7 (2)]

The method of recruitment, field of promotion, field of selection for deputation for appointment to the various grades of the Central Secretariat Official Language Service (Group 'A' and 'B' Posts).

Sl. No.	Name of the Post and scale of pay	Whether selection or non-selection post	Method of recruitment	Field of promotion	Field of selection for deputation
1	2	3	4	5	6
1.	Grade-I (Director) (Rs. 14300-400-18300)	Selection	(Forty) per cent by promotion (sixty) per cent by deputation.	Joint Director having five years regular service in the grade, failing which Joint Director having ten years combined regular service in the grade of Joint Director and Deputy Director having a minimum of three years regular service in the grade of Joint Director.	Officers of the Central Government. (a) [i] holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; Or [ii] having five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 or equivalent in the parent cadre or department. and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment to the post of Assistant Director as specified in Schedule V.
2.	Grade-II (Joint Director) (Rs. 12000-375-16500)	Selection	Seventy five per cent by promotion twenty five per cent by deputation.	Deputy Director having five years regular service in the grade, failing which Deputy Director having eleven years combined regular service in the grade of Deputy Director and Assistant Director in the pay scale of Rs. 7500-12000 failing both Deputy Director having thirteen years combined regular service in the grades of Deputy Director and Assistant Director in the	Officers of the Central Government. (a) [i] holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; Or [ii] having five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay Rs. 10000-15200 or equivalent in the parent cadre or department. and (b) Possessing the educational

1	2	3	4	5	6
				pay scales of Rs. 7500-12000 and Rs. 6500-10500 with a minimum of three years regular service in the grade of Deputy Director.	qualifications and experience prescribed for direct recruitment to the post of Assistant Director as laid down in Schedule V.
3.	Grade-III (Deputy Director) (Rs. 10000- 325-15200)	Selection	By promotion failing which by deputation.	Assistant Director having six years regular service in the grade, failing which Assistant Director having eight years combined regular service in the pay scale of Rs. 6500- 10500 and Rs. 7500-12000.	Officers of the Central Government. (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; Or (ii) having five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 10000-15200 or equivalent in the parent cadre or department; (iii) having six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruit- ment to the post of Assistant Director as laid down in Schedule V.
				<i>Rs. 8770 - 13500</i>	
4.	Grade-IV (Assistant Director) Rs. 7500-250- 12000)	Selection	Fifty per cent by promotion and fifty per cent by direct recruitment		
5.	Grade-V (Senior Translator) (Rs. 6500- 200-10500)	Selection	By promotion failing which by deputation	Junior Translator having 3 years regular service in the grade, failing which Junior Translator having six years combined regular service in the pay scale of Rs. 5500- 9000 and Rs. 5000-8000.	Officers under the Central Government. (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; Or (ii) having three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent cadre or depart- ment; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruit- ment to the post of Junior Translator as laid down in Schedule VII.

1	2	3	4	5	6
6.	Grade VI (Junior Translator) (Rs. 5500-9000)	Not applicable	Direct recruitment Note 1 : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) having three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5000-8000 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) having six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in post in the scale of pay of Rs. 4500-7000 or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) having ten years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 4000-6000 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment as laid down in Schedule VII.	Not applicable	Not applicable

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : Period of deputation to Grades I, II, III, IV and V of the Service including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding appointment to these grades in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

Note 3 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully complete their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

SCHEDULE IV

[See rule 7(3) and 10]

The Composition of Departmental Promotion Committees for considering cases of promotion and confirmation to various posts in the Central Secretariat Official Language Service (Groups 'A' and 'B' posts).

Sl. No.	Designation of posts	Composition of Departmental Promotion Committee for Promotion	Composition of Departmental Promotion Committee for confirmation
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Grade-I (Director)	(1) Chairman or Member, Union Public Service Commission (2) Secretary (Official Language) (3) Joint Secretary (Official Language)	—Chairman —Member —Member Not Applicable
2.	Grade-II (Joint Director)	(1) Chairman or Member, Union Public Service Commission (2) Secretary (Official Language) (3) Joint Secretary (Official Language)	—Chairman —Member —Member Not Applicable
3.	Grade-III (Deputy Director)	(1) Chairman or Member, Union Public Service Commission (2) Joint Secretary (Official Language) (3) Director/Deputy Secretary (Service) (Official Language)	—Chairman —Member —Member Not Applicable
4.	Grade-IV (Assistant Director)	(1) Joint Secretary, Department of Official Language (2) Two representative of the rank of Director or Deputy Secretary to the Government of India, to be nominated by the Controlling Authority	—Chairman —Member Not Applicable
5.	Grade-V (Senior Translator)	(1) Joint Secretary, Department of Official Language (2) Two representative of the rank of Director/Deputy Secretary to the Govt. of India, to be nominated by the Controlling Authority	—Chairman —Member Not Applicable
6.	Grade- VI (Junior Translator)	(1) Joint Secretary (Official Language) Department of Official Language (2) Two representative of the rank of Director or Deputy Secretary to the Government of India, to be nominated by the Controlling Authority	—Chairman —Member Not Applicable

Note 1:— The absence of a Member, other than the Chairman or a Member of the Commission shall not invalidate the proceedings of the Committee, if more than half the Members of the Committee had attended its meetings.

SCHEDULE V

Minimum educational and other qualifications, experience and age limit for direct recruitment to Grade IV (Assistant Director) of the Central Secretariat Official Language Service (Group 'A' and Group 'B' posts).

(a) **Age limit.**—Not exceeding 35 years, (relaxable upto five years for Government servants).

Note:—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)

(b) Educational qualifications and other qualifications and experience:

Essential: (I) Master's degree of a recognised University or equivalent in Hindi with English as a subject at a degree level;

or

Master's degree of a recognised University or equivalent in English with Hindi as a subject at a degree level;

or

Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with Hindi and English as subjects at the degree level;

or

Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with Hindi Medium and English as a subject at the degree level;

or

Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with English Medium and Hindi as a subject at the degree level.

Experience: (II) Five years' experience of using/applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature;

or

Five years' experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable: (i) Knowledge at the level of Matriculation of a recognized Board or equivalent of one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution.

(ii) Degree or Diploma in translation in Hindi to English and vice-versa from any recognised University or equivalent.

SCHEDULE VI

The circumstance of consultation with Union Public Service Commission for appoint to various grades of the Central Secretariat Official Language Service (Groups 'A' and 'B' Posts).

S.No.	Name of the post	Scale of Pay	Circumstances of consultation with UPSC
1.	Grade I (Director)	Rs. 14300-400-18300	Consultation with UPSC not necessary.
2.	Grade II (Joint Director)	Rs. 12000-375-16500	Consultation with UPSC not necessary.
3.	Grade III (Deputy Director)	Rs. 10000-325-15200	Consultation with UPSC necessary on each occasion.
4.	Grade IV (Assistant Director)	Rs. 7500-250-12000	Consultation with UPSC necessary for making direct recruitment.
5.	Grade V (Senior Translator)	Rs. 6500-200-10500	Consultation with UPSC not necessary.
6.	Grade VI (Junior Translator)	Rs. 5500-175-9000	Consultation with UPSC/ SSC not necessary.

SCHEDULE VII

Minimum educational and other qualifications, experience and age limit for direct recruitment to Grade VI (Junior Translator) of the Central Secretariat Official Language Service (Group 'B' posts).

(a) **Age Limit** — Not exceeding 30 years, (Relaxable upto Five years for Government servants).

Note—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(b) Educational qualifications and other qualifications and experience:

Essential:

(I) Master's degree of a recognised University or equivalent in Hindi or English with English or Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level.

or

Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject other than Hindi or English, with Hindi or English medium and English or Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at degree level.

or

Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subjects of either or the two as medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level.

and

(II) Recognized Diploma or Certificate Course in translation from Hindi to English and vice-versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central or State Government offices, including Government of India Undertaking.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable:

(i) Knowledge at the level of Matriculation of a recognized Board or equivalent of one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution.

(ii) Degree or Diploma in translation from Hindi to English and vice-versa from a recognised University.

[F. No. 1/1/2001-OL(S)]

MADAN LAL GUPTA, Jt. Secy.

(Kind Attention: Shri B.R. Rajput, Space Use Centre)

संज्ञा सं. डी. एल. 33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 345]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 30, 2007/श्रावण 8, 1929

No. 345]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 30, 2007/SRAVANA 8, 1929

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2007

सा.का.नि. 514(अ).—भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (i) दिनांक 3 नवम्बर, 2006 सा.का.नि. 689(अ) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह क व ख घ) नियम, 2006 को अनुसूची 3 में क्रम संख्या 4, श्रेणी 4 सहायक निदेशक ग्रेड IV के कालम 5 में "प्रोन्नति का क्षेत्र" निम्नलिखित प्रावधान बांटा जाता है:—

"ऐसे बरिष्ठ हिंदी अनुवादक जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो, जिसके न हो सकते पर ऐसे बरिष्ठ हिंदी अनुवादक जिसमें रु. 5500-175-9000 और रु. 6500-200-10500 के बतनमान में सात वर्ष की सम्मिलित सेवा की हो,"

एवं

भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (i) दिनांक 3 नवम्बर, 2006 सा.का.नि. 689(अ) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह क व ख घ) नियम, 2006 को अनुसूची 3 में क्रम संख्या 3, श्रेणी 3: उप निदेशक श्रेणी III के कालम 6 में "प्रतिनियुक्ति के लिए प्रेषण का क्षेत्र" के अंतर्गत रूपान्तर में "जिनकी मूल काडर विभाग में 10000 से 15200 रु. के स्थान पर "8000-13500" रु. प्रकाशित किया जावे।

[फ. सं. 1/1/2001-रा. भा. (सेवा)]

पी. वी. वल्सला जी. कुट्टी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 26 July, 2007

G.S.R. 514(E).—In the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated 3 November, 2006 G.S.R. 689(E) for the post of Assistant Director Grade IV in column 5 of the Schedule III, the following provision may be added:—

"Senior Translator with three years' regular service in the grade failing which Senior Translator with seven years' combined regular service in the pay scales of Rs. 5500-175-9000 and Rs. 6500-200-10500."

And

In the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated 3 November, 2006 G.S.R. 689(E) for the post of Deputy Director Grade III in column 4 (ii) of the Schedule III in the English edition, in the pay scale of Rs. 8000-13500 may be published instead of Rs. 10000 to 15200.

[F.No. 1/1/2001-OL(S)]

P.V. VALSALA G.KUTTY, Jr. Secy.

3338 01/2007